दिल्ली के अस्पतालों में सरकारी छुट्टियों के दिनों में शिक्षार्थी नर्सों की ड्यूटी

2714. **श्री राम नरेश कुशवाहा :**
श्री सूरज प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में ट्रेनिंग पाने वाली नर्सों को सरकारी छुट्टियों के दिनों में अस्पताल में ड्यूटी देनी पड़ती है ;

(ख) यदि नहीं, तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में शिक्षार्थी नर्सों को ड्यूटी पर आने के लिए कहे जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पुरानी दिल्ली में आये दिन दंगे होते हैं इस पर भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के अधीक्षक ने सभी नर्सों को परिचय पत्र जारी नहीं किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही नर्सों को सार्वजनिक छुट्टियों को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होना होता है। लेकिन, लोकनायक जय-प्रकाश नारायण अस्पताल में उन्हें ऐसी छुट्टियों को आधे दिन की छुट्टी दी जाती है।

(ख) उन्हें छुट्टियों को पूरे दिन की छुट्टी नहीं दी जा रही है क्योंकि ड्यूटी रोस्टर इस तरह से तैयार किया जाता है कि रोगी परिचर्या पर बुरा असर न पड़े। लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही नर्सों को एक महीने में चार दिन की छुट्टी तथा प्रत्येक रविवार और राजपत्रित अवकाश वाले दिनों को आधे दिन की छुट्टी मिलती है।

(ग) उन नर्सों को पहचान पत्र जारी किए गए थे जिन्होंने इनके लिए आवेदन किया था। 1 नवम्बर, 1984 से आज तक उपचर्या स्टाफ को 223 पहचान पत्र जारी किए गए थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा दवाइयों की खरीद

2715. **श्री राम नरेश कुशवाहा :**
श्री सूरज प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन, डी० डी० ए०, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान अपने कर्मचारियों के लिए सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों द्वारा बनाई गई दवाइयां खरीदता है जबकि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा निदेशालय स्थानीय कम्पनियों से दवाइयां खरीदता है ; और

(ख) क्या सरकार ने सी०बी०आई० के जरिए इस बारे में कोई जांच कराई है कि किन कारणों से केन्द्रीय स्वास्थ्य निदेशालय स्थानीय विनिर्माताओं से दवाइयां खरीदता है ; यदि हां तो इसके क्या परिणाम है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख) चिकित्सा भण्डार संगठनों द्वारा औषधों की खरीद के संबंध में एक लाख रुपये से अधिक कीमत की वस्तुओं के लिए पूर्ति और निपटान महानिदेशक को मांग पत्र भेजे जाते हैं जो अपने पास दर्ज सप्लायरों से निविदाएं आमंत्रित करते हैं और निर्णय लेते हैं। इनमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की यूनिटें शामिल हैं। जहां तक उन वस्तुओं का संबंध है जिसका मूल्य एक लाख रुपये से कम होता है, उनके लिए चिकित्सा भण्डार डिपुओं में दर्ज फर्मों